

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारां (राज.)

|                           |              |               |       |
|---------------------------|--------------|---------------|-------|
| क्र. / प्रार्थना पत्र सं. | धारा अंतर्गत | ग्राम         | तहसील |
| 99/2011                   | 53, 188, RTA | बटावदापार     | छबड़ा |
| वादी                      | वाद शीर्षक   | प्रतिवादी     |       |
| विष्णु                    | बनाम         | हरनारायण वगै० |       |

वकील :- श्री डेवेंद्र केदार एस.

आदेश पत्रक

वकील :-

| दिनांक | कार्यवाही एवं आदेश | विविध संदर्भ |
|--------|--------------------|--------------|
|--------|--------------------|--------------|

21-6-11 अभिभाषक वादी द्वारा एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 आर टी ए विरुद्ध प्रतिवादीगण के न्यायालय में पेश किया गया, रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे, अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 06.07.2011 को पेश हो।

822  
22/6/2011

6-7-11 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी अर्थात् जस्टिस वादी के. 2 ग्राह की ओर से श्री जियेवी लाल मजठ एस. का बकायतनाम पेश हुआ। जस्टिस वादी के. 9, 10 वाक्यूटून प्रमाण के माफात से उत्तर नहीं दी उनके विरुद्ध एक नए कार्यवाही की जाती है प्रार्थना की है। श्री लखी देव ललका पेश करे। पत्रावली वादि लखी / जवाब रिमांड 17-8-11 को पेश हो।

17-8-11 पत्रावली पेश हुई। बकुलाम फरीकेठ अर्थात् जस्टिस वादी के. 1 की लखी देव ललका एस. का ललका पेश करे। पत्रावली वादि लखी रिमांड 26-9-11 को पेश हो।

26-9-11 पत्रावली पेश बकुलाम फरीकेठ अर्थात् जस्टिस वादी के. 1 की लखी देव ललका पेश करे। पत्रावली वादि लखी रिमांड 15-11-11 को पेश हो।

15-11-11 पत्रावली पेश हुई बकुलाम फरीकेठ अर्थात् जस्टिस वादी के. 1 की लखी देव ललका पेश करे। पत्रावली वादि लखी रिमांड 5-12-11 को पेश हो।

दिनांक

7/20

अधीनस्थ अधिकारी के अन्य कार्य में  
 व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत् स्थिति में  
 दिनांक 2/11/20 को पेश हो।  
 न्यायालय उपायुक्त अधिकारी  
 छबड़ा (बारा)

2/20

अधीनस्थ अधिकारी के अन्य कार्य में  
 व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत् स्थिति में  
 दिनांक 01/11/20 को पेश हो।  
 न्यायालय उपायुक्त अधिकारी  
 छबड़ा (बारा)

01/20

अधीनस्थ अधिकारी के अन्य कार्य में  
 व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत् स्थिति में  
 दिनांक 5/11/21 को पेश हो।  
 न्यायालय उपायुक्त अधिकारी  
 छबड़ा (बारा)

30/11

पत्रावली पेश हुई। नमुनाएँ अर्पित उपस्थित।  
 तहसील से विभाजन प्रस्ताव प्रारम्भ। नियमानुसार  
 स्थापित पेश करें। बाह्य केन्द्रिक डिब्बी पत्रावली दिनांक  
 2/11/21 को पेश हो।

28/9/21

पत्रावली पेश हुई। नमुनाएँ अर्पित उपस्थित।  
 तहसील से विभाजन प्रस्ताव प्रारम्भ। पक्षकारान  
 सहमत है। पक्षकारान के मध्य प्रथम प्रथम  
 विभाजन निम्न प्रकार किया जाता है।

| क्र.सं. | नाम/विवरण                                | रकबा सठ | रक. न. | रकबा | न्याया           |
|---------|--|---------|--------|------|------------------|
| 1       | विष्णु पुत्र जगन्नाथ<br>काक तेली सा.दे.ह | 423     | -      | 824  | - 0.04           |
|         |  | 387     |        |      | किता-1 रकबा 0.04 |
|         |  | 424     |        | 1297 | - 0.04           |
|         |  |         |        | 256  |                  |
|         |  |         |        | 225  | - 0.04           |

कार्यवाही एवं आदेश

विविध संदर्भ

क.स.

गणराजेंदार

शकता संख्या श.न० रकवा

425 - 203 - 0.03

227 - 0.03

किता-2 रकवा 0.06

136 - 300 - 0.06

126 822 - 0.06

395 - 0.01

किता-3 रकवा 0.13

72 - 903 - 3.02

362

कुल किताब रकवा 3.02

2-

हरनारायण गंगधर हीरकीध  
पुत्री जगन्नाथ, सुशीला, शांती  
मधु, दशरथ पुत्रिया जगन्नाथ  
तेली सा.देह

शकता सं. श.न० रकवा

423 824 - 1.13

387 1

किता-1 रकवा 1.13 कीषा

126 395 - 0.02

136 1

300 - 2.00

1

822 - 2.02

1

किता 3 रकवा 4.04 कीषा

शकता सं. श.न० रकवा

424 199 - 0.07

388 256/1

225/1 - 1.05

किता 2 रकवा 1.12 कीषा

425 203/1 - 1.01

389 227/1 - 1.03

किता 2 रकवा 2.04 कीषा

3-

सुगन-चंद, कल्लुलाल पूरणलाल उर्फ  
पूनम-चंद, पवन पुत्र दौलत राम,  
सुखिमा नाई, गुडडी नाई उर्फ सुमित्रा  
विभलेश, ललता नाई पुत्रिया  
दौलत राम, कमला नाई तेली  
दौलत राम जाति तेली सा.देह

126 300/2 - 2.05

136 822/2 - 2.09

395/2 - 0.02

किता-3 रकवा 4.16 कीषा

दिनांक

कार्यवाही एवं आदेश

खता खत

ख. नं०

ख. का

425

389

203/2

227/2

1.04

1.06

किता-2

खता

2.10 बीघा

4- धुलीलाल पुत्र गोरिलाल  
जाति किराड ख. 38

424

385

199

256/2

225/2

0.09

1.07

किता 2

खता

1.16 बीघा

425

389

203/3

227/3

1.04 बीघा

1.09 बीघा

किता 2

खता

2.13 बीघा

5- हरिप्रसाद, गंगाधर पुत्र  
गंगानोथ मोग मेली  
ख. देह

903/1

0.08

किता-1

खता

0.08

नोट-ख. नं. 825/0.02, 226/0.02, 309/0.01

किरम गोर मुभकिन - वड में वडी - प्रतिवडी गण का शास्त्रती  
आधिकार रहेगा।

उपरोक्त विवेचनानुसार, भूतविक तहसीलदार  
इलाका से भारत विभाजन प्रस्ताव अनुसार पक्षकारान के  
मध्य पृथक पृथक विभाजन किया जाकर राजस्व रिकार्ड  
में अमल दरमद करने हेतु तहसीलदार इलाका को  
आदेशित किया जाता है। तदनुसार अंतिम डिफ्री  
पत्र जारी हो। पत्रवली फेशल शुभार होकर दाखिल  
दफतर हो।

उपखण्ड अधिकारी  
छबड़ा जिला बारा (राज.)

य उपखण्ड अधि  
११/२०११  
११/२०११  
११/२०११

मालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला-बारां (राज.)

अंतिम - डिक्री

|   |                         |                                   |
|---|-------------------------|-----------------------------------|
| संख्या ११/२०११  | धारा अंतर्गत ५३/१८८ RTA | निर्णय दिनांक २८/१/२०२१           |
| का.:- द्वारा श्री मति गनीसा तिवारी RAS उपखण्ड अधिकारी, छबड़ा जिला-बारां |                         |                                   |
| परिस्थिति :- अभिभाषक वादी देवेन्द्र कुमार मेहता                         |                         | अभिभाषक प्रतिवादी चिरंजीलाल मेहता |

वाद शीर्षक

१- विष्णु शंभु जगन्नाथ तेली निवासी कटावदा पार तहकील दार, छबड़ा जिला-बारां

- १- इन्दरशरण पुत्र २- गंगाधर पुत्र ३- हरि प्रसाद पुत्र ४- सुशीला पुत्री  
 ५- शोभा पुत्री ६- मधु पुत्री ७- दमरु पुत्री एवं समस्त वे.पिता  
 जगन्नाथ जाति तेली निवासी हाल छबड़ा ८- दौलतराम पुत्र मेनाराम  
 ९- धूलीलाल पुत्र गोरेलाल जाति किराड रो. कटावदा पार तह. छबड़ा  
 १०- राज. सरकार जेथे तहकील दार, छबड़ा जिला-बारां

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तदनु रूप डिक्री निर्गत की जाती है कि मुताबिक तहकील दार, छबड़ा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार पक्षकारों के कक्ष-प्रथम-प्रथम विभाजन निम्न प्रकार किया जाता है।

|        |  |
|--------|--|
| कु.सं. | नीमसातेदार - रकता रं. रक.न. रकवा ग्राम |
| १      | विष्णु पुत्र जगन्नाथ ५२३/४४१ ८२५ ०.०५  |
|        | मोम तेली सा.दे.ह                       |
|        | किता-१ रकवा ०.०५                       |
|        | ५२५ - १९९/१.५६ - ०.०१                  |
|        | - २२५ - ०.०५                           |
|        | किता २ रकवा - ०.०५                     |

साथ ही निम्नानुसार.....रु. का व्ययानुतोष.....द्वारा.....को प्रदान किया जाए  
 उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक २८/१/२०२१ को निर्गत किया गया।



(मनीषा तिवारी)  
 उपखण्ड अधिकारी  
 हस्ताक्षर  
 छबड़ा, जिला बारां (राज.)  
 उपखण्ड अधिकारी  
 छबड़ा

व्ययानुतोष

| क्र.सं. | व्यय मद  | वादी | प्रतिवादी |
|---------|--|------|-----------|
| १.      | वाद पत्र/लिखित कथन (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय) |      |           |
| २.      | अभिभाषक पत्र (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)       |      |           |
| ३.      | साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)      |      |           |
| ४.      | प्रार्थना पत्र (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)     |      |           |
| ५.      | पारिश्रमिक अभिभाषक                             |      |           |
| ६.      | व्यय साक्षी                                    |      |           |
| ७.      | फीस कमिश्नर                                    |      |           |
| ८.      | अन्य/क्षतिपूर्ति                               |      |           |
| ९.      | व्याज ( % )                                    |      |           |
|         | योग  |      |           |